NEWS LETTER

Month - April 2021

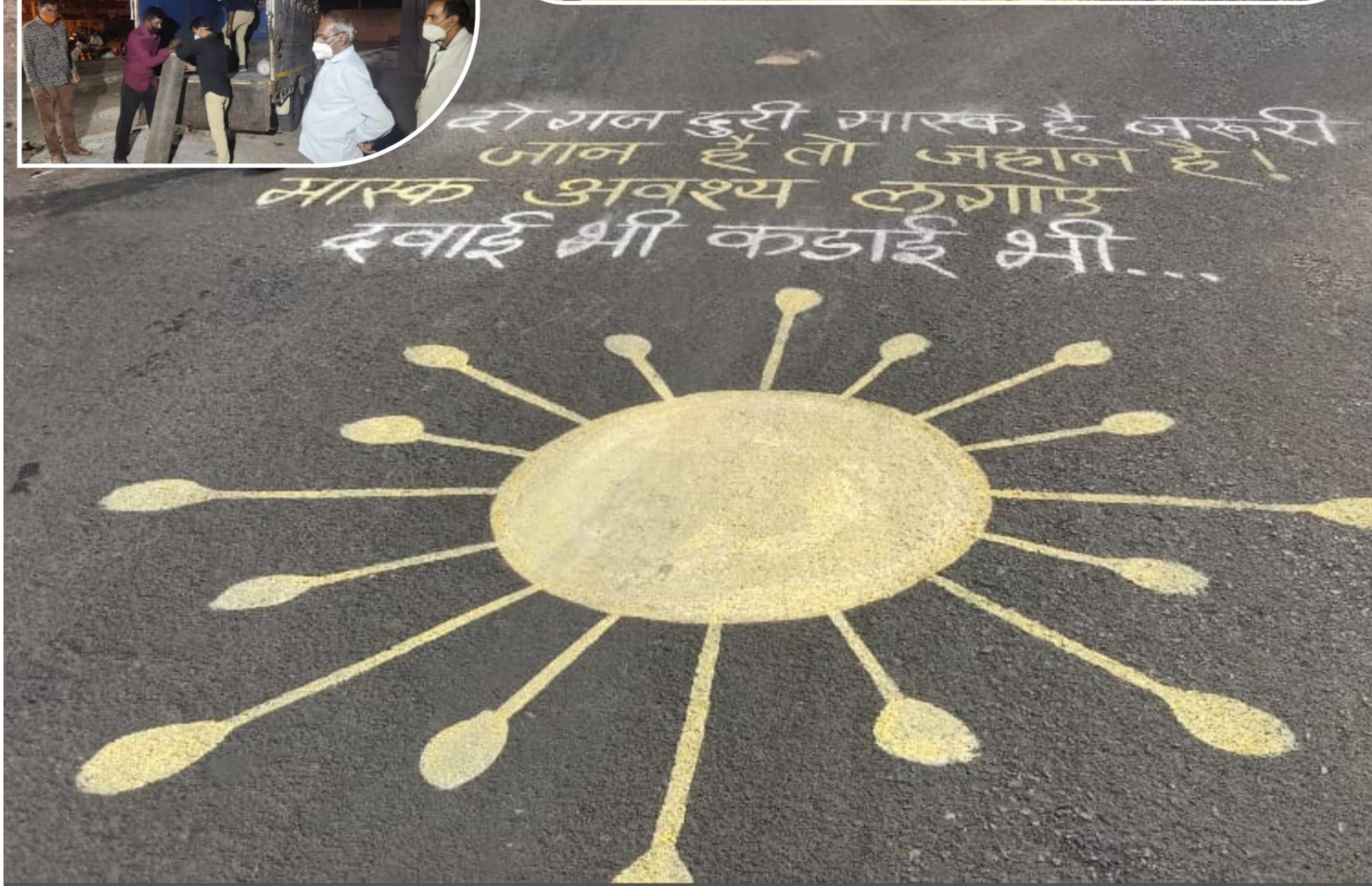

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Table of Contents

S.No.	Subject	Page No.
1	Reaching out to our Jail Inmates	1-5
2	Legal Services to Children under NALSA Scheme-Bringing Dropout Children Back to School Campaign	6-9
3	Mediation	10
4	Panch 'J'	11
5	Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme	12
6	Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme	13-19
7	Celebrating World Health Day	20-21
8	Training & Webinar	22-26
9	Towards Corona Free Communities	27-29
10	Yog se Nirog	30
11	Success Story	30
12	Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100	31

Reaching out to our Jail Inmates
विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

(दिनांक :– 07 अप्रैल, 2021)
स्थान :– म.प्र.उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की समस्त उप जेल

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में दिनांक 07.04.2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाली उप जेल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इन जेलों में मेडिकल कॉलेज/स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन के साथ–साथ इन जेलों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित कैदियों के लिए नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाकर उनके प्रकरण की यथास्थिति से बंदियों को अवगत कराया गया, इसके साथ ही बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों में शिविर के दौरान लगभग 241 बंदियों को विधिक सहायता एवं 901 बंदियों को विधिक सलाह प्रदान की गई तथा 81 चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बंदियों में से 7 एच.आई.वी. पीडित, 4 कैंसर पीडित एवं 1 टी.बी. पीडितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त शिविर के दौरान कई बंदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। इस प्रकार कुल 1635 बंदियों (1602 पुरूष एवं 33 महिला) का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 54 बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में किया गया।

DLSA RAISEN

DLSA SHAHDOL

DLSA DAMOH

DLSA HOSHANGABAD

DLSA PANNA

DLSA PANNA

Media Coverage

जेल में लगाया स्वास्थ्य एवं विधिक साक्षरता शिविर

82 बंदियों की हुई जांच, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मंडीदीप

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय गौहरगंज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उप जेल गौहरगंज में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज सुरेखा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज गौरव अग्रवाल, सहायक जेल अधीक्षक गौहरगंज आशीष मंजना, पैनल लायर्स कैलाश साहू एवं मंजु त्रिपाठी, विधिक कर्मचारी अखिलेश साहू, डॉ. आरके वर्मा, डॉ. विजेन्द्र गौर अपनी स्वस्थ्य परीक्षण टीम के साथ उपस्थित रहे। जिन्होंने कुल 82 बंदियों का स्वस्थ्य परीक्षण किया एवं चिकित्सकों द्वारा बंदियों का शरीर का तापमान ब्लडप्रेशर आदि की जांचें की गई और उन्हें दवाओं का वितरण किया। शिविर में सुरेखा मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित बंदियों को कहा कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं और परिवार तथा समाज व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस अवसर पर बंदियों को नशा पीड़ित योजना, प्ली बार्गेनिंग, विधिक सलाह और सहायता प्रचार प्रसार के संबंध में बताया गया। उक्त शिविर में गौरव अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सलाह दी। साथ ही एड्स की बीमारी के बचाव के संबंध में जानकारी दी गई।

सब जेल बंडा में हुआ बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार

बण्डा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन द्वारा जारी निर्देशानुपालन में सब जेल बण्डा में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज सुबह 10:00 बजे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया।

जिसमें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 7 सदस्य चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर 156 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर राघव गुप्ता, चर्म रोग डॉ देवाशीष विश्वास, मेडीसिन डॉ आशीष दुबे सर्जरी, डॉ रंजीत कुमार डी अस्थरोग, डॉ लवि उकावत ईएनटी, डॉ योगिता चौरसिया नेत्ररोग, डॉ. कुलदीप पाल दंतरोग चिकित्सा विशेषज्ञ ने किया।

स्वास्थ्य दिवस अवसर पर अपर सत्र जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल, न्यायाधीश हेमन्त सविता, जेल अधीक्षक राजेन्द्र कुमार यादव, पत्रकार दिनेश सिंह लोधी, रवि सेन टीकाराम साहू सहित अन्य सबजेल स्टाफ उपस्थित रहे।

जिला जेल में स्वास्थ्य परीक्षण 170 पुरुष और 12 महिला की हुई जांच

रायसेन|राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला जेल रायसेन में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें 170 पुरुष, 13 महिला और 2 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार उपचार किया गया।

शिविर में 11 बंदियों को पैनल अधिवक्ता द्वारा विधिक सहायता प्रदान कर उनकी समस्या के समाधान के लिए विधिक सलाह भी दी गई। शिविर में डॉ. एमएल अहिरवार मेडिकल विशेषज्ञ, डॉ. एस झारिया और डॉ. अंबिका अग्रवाल चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य अमले द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपजेल अधीक्षक जेआर मंडलोई तथा पैनल अधिवक्ता सनत कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य परीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

■ उप जेल गौहरगंज में न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा व गौरव अग्रवाल ने दी बंदियों को जानकारी

स्वदेश संवाददाता, औबेदुल्लागंज

ऋषभ यादव

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति न्यायालय गौहरगंज में सोशल डिस्टेनसिंग नियमों का पालन करते हुए उप जेल गौहरगंज में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक साक्षरत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपर सत्र न्यायाधीश गौहरगंज सुरेखा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, गौरव अग्रवाल, सहायक जेल अधीक्षक गौहरगंज आशीष मंजना, पैनल लायर्स कैलाश साहू एवं मंजु त्रिपाठी, विधिक कर्मचारी अखिलेश साहू, डॉ आर. के वर्मा, डॉ विजेन्द्र गौर अपनी स्वस्थ्य परीक्षण टीम के साथ उपस्थित रहे, जिन्होंने कुल 82 बंदियो का स्वस्थ्य परीक्षण किया एवं चिकित्सकों द्वारा बंदियों का शरीर का तापमान, ब्लडप्रेशर आदि की जांचें की गई एवं बंदियों को दवाओं का वितरण किया गया।

Jail Inspection & Meeting by DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर

(1) अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के निर्धारित बिन्दु अनुसार विचाराधीन बंदियो की साप्ताहिक जानकारी जिला जेल– अलीराजपुर, उपजेल जोबट एवं समस्त न्यायालय अलीराजपुर व जोबट से प्राप्त की जाकर स्क्रूटनी की गई तथा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक **दिनांक 07/04/2021** को आयोजित की जाकर पात्र बंदियों की रिहाई के संबंध में अनुशंसा की गई।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर द्वारा दिनांक 01.04.2021 एवं 06.04.2021 को जिला जेल अलीराजपुर का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में जेल में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदियो से चर्चा कर उनकी समस्याएं जानी। बंदियो को निःशुल्क विधिक सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु कैदियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता के संबंध में जानकारी दी गई। जेल प्राधिकारी को कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय जैसे– सेनेटाइजेशन, साफ–सफाई आदि करने और बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु गतिविधियों के आयोजन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये।

DLSA JABALPUR

Virtual Camp organized in Central Jail

DLSA JABALPUR organised a virtual camp and inspection program for prisoners in the Central Jail, Jabalpur regarding Plea bargaining and also imparted Information about the status of their cases. Apart from this brief information related to the rights of prisoners was also given to them.

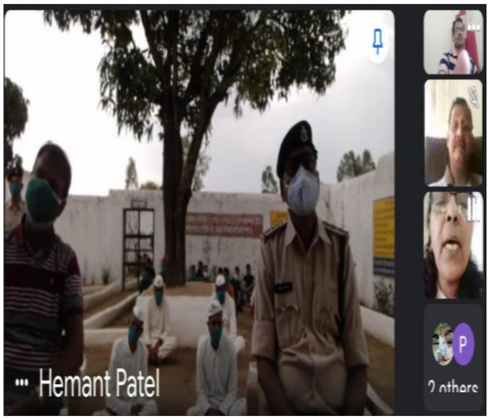

DLSA CHHINDWARA

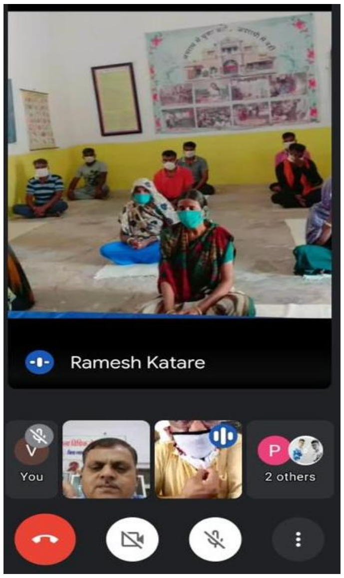

DLSA JHABUA

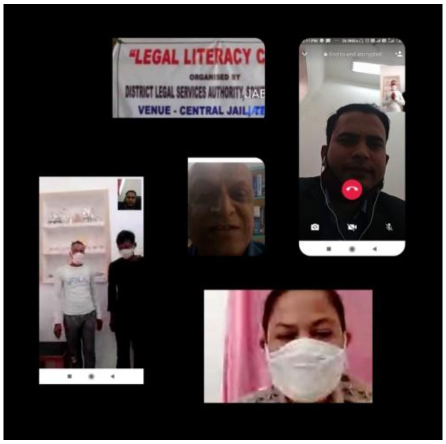

DLSA JABALPUR

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Bringing Dropout Children Back to School Campaign

In accordance with the NALSA Child Friendly Scheme 2015, Legal Services Institutions across the State have been conducting dedicated programmes for children in need of care and protection and enforcement of child rights. For this purpose public awareness and sensitization campaigns against child marriage, child labour, child abuse have been conducted apart from organizing drawing and essay competitions.

Observing that low rate of education increases the number of school dropouts and consequently increases the incidence of child marriage creating a vicious cycle where women subsequently cease to contribute effectively to the economy not only of the family but also of the society, Hon'ble the Exeucitve Chairman was pleased to approve the innovative Back to School Campaign. Those children who never enrolled at schools and also those children who dropped out of schools or had not attended schools for three months shall be considered to have dropped out.

Accordingly following guidelines were issued for a State wide campaign:-

a) Identification of children who are forced to stop their education before competition of Senior Secondary Examination due to any reason, whether economical or social;

b) Identification of the reasons for drop-out of children especially the girls;

c) Removing difficulties which forced the children to leave their schools before completing their education up to XII standards;

d) Getting children re-admitted in school and enabling them to continue study until they compete their education upto XII standard;

e) Providing books, copies, stationary, bags, dresses etc. with the assistance of the State Government to these drop-out children to enable them to continue their study;

f) Monitoring such children to ensure that they may complete their education upto XII standard;

g) Ensuring cooperation of Education Department, Social Justice & Empowerment Department and District Administration to facilitate these children to compete their education.

Several DLSAs flagged off the "Back to School Programme" for bringing dropout children back to schools. DLSA Ashoknagar took up a special drive for school children in Village Madhogarh inhabited largely by the Pardi Community.

DLSA ASHOKNAGAR

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा शाला त्यागी अभियान हेतु सीधी जिले के पी.एल.व्ही. एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिले के पी.एल.वी. द्वारा डोर–टू–डोर कंपेन का आयोजन किया गया, शाला त्यागी बच्चों को चिन्हित किया गया एवं शाला त्यागी बच्चों को पुनः उनकी शिक्षा प्रारंभ करने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा शाला त्यागी अभियान हेतु खण्डवा जिले में पैरालीगल वालंटियर्स व जिला शिक्षा विभाग, खण्डवा के समन्वय से उक्त अभियान की शुरूआत की गयी। जिसके तहत उक्त अभियान के तहत ए0डी0आर सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा कार्यालय व शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण व पैरालीगल वालंटियर, आदि के साथ कई अवसरों पर मीटिंग आयोजित कर उक्त अभियान की सफलता हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

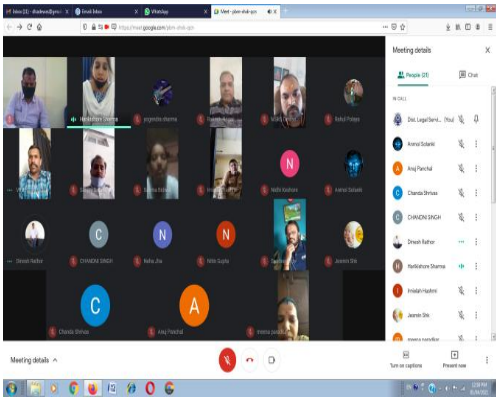

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 01.04.2021 को शाला त्यागी बच्चों के लिए प्रदेश व्यापी अभियान अंतर्गत पैरालीगल वालेंटियर्स की आनलाईन बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा शाला त्यागी बच्चों के लिए प्रदेश व्यापी अभियान के बारे में बताते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गए।

Organising Online Inspection & Camp For Children

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा (''सेव अवर सोल') चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया भोपाल में निवासरत बच्चों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर उनके स्वास्थ्य, देख–रेख, उपचार एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु संचालित गतिविधियों की जानकारी ली गई तथा बच्चों को योग, प्राणायाम एवं उनके बौद्धिक विकास हेतु निबंध लेखन, पेंटिंग गायन आदि गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया गया।

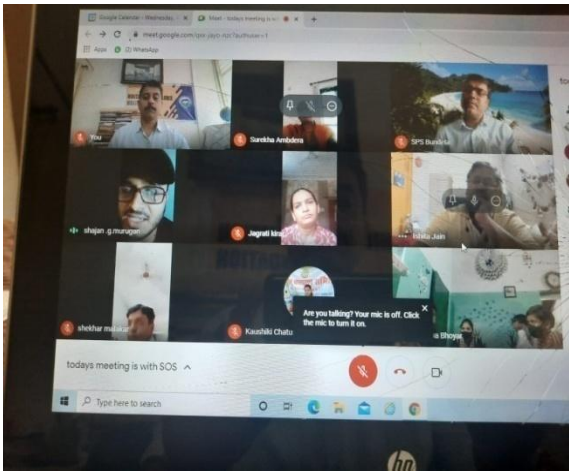

DLSA NARSINGHPUR

DLSA Narsinghpur organized a training session for 01 Panel Lawyers, 04 Service providers & 01 Assistant Probation Officer on 08-04-2021 through webinar by Secretary, DLSA on relevent laws related to Juvenils. 04 PLVs including attached 02 PLVs to CWC & JJB were also attended the training session.

Further, Secretary, DLSA had viewed/inspected 04 Children & Observation Homes at Narsinghpur thought webinar. Earlier in 03 matter, Legal Aid was given to a juvenil & counsel was appointed by the DLSA to the concerned on 01.04.21 & 09.04.21

Mediation

DLSA JABALPUR

District Legal Services Authority Jabalpur organised a virtual mediation awareness programme at One Stop Center. During the camp participants were informed about the mediation process and resolution of the cases through mediation for saving time, money and cordial relations. Along with this, people were also informed about various schemes of NALSA.

DLSA NARSINGHPUR

DLSA Narsinghpur organized a Mediation Awareness program through webinar for the villegers of Ukashghat. Participants have been made aware about the benificiery of mediation and other mechenism of ADR. About 20 people were benefits by the awareness program.

DLSA Narsinghpur organized Another Mediation Awareness Program at Bar Office, Civil Court (TLSC) Gadarwara for Judges & Advocates on 03-04-2021

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

भास्कर न्यूज़। गाडरवारा. जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर श्रीमती आशा गोधा के आदेशानुसार सचिव जिला प्राधिकरण संजय गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सहायता राजेश सक्सेना द्वारा चीचली जनपद की ग्राम पंचायत उकास्घाट में आधुनिक तकनीकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विधि की जानकारी देते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए ग्रामवासियों को सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने की समझाइश दी गई। विवाद विहीन ग्राम योजना, राजस्व विभाग से जुड़े जमीनी विवाद, विधि से जुड़ी जानकारी एवं पेयजल की समस्या को लेकर वाटर सप्लाई के विषय में ग्राम वासियों ने चर्चा की, समस्या के निराकरण के लिए आवेदन करने की समझाइश दी गई। शिविर के दौरान पीएलवी रामकृष्ण राजपूत द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। जिसमें ग्राम कोटवार केदार मेहरा एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

Panch ‘J’

Preserving Our Beautiful Blue Planet

भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पानी के सकोरे रखकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। पैरा लीगल वालंटियर द्वारा भी लोगों को पक्षियों के संरक्षण के लिए निशुल्क सकोरे का वितरण किया जा रहा है इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कोरोना काल में भी विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य न्यायाधीशगण द्वारा पीपल, नीम आदि पौधों का भी रोपण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मंदसौर के पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती रेणुका जैन द्वारा मंदसौर में भीषण गर्मी में पंछियों की पानी व्यवस्था हेतु पंछी बचाओ अभियान अंतर्गत सकोरे वितरित किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 10.04.2021 को जिला न्यायालय परिसर देवास में ग्रीष्मकाल में पशु–पक्षियों के पानी पीने के लिए सकोरे रखे गए।

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा दिनांक 08.04.2021 को वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजनों को उनके अधिकारों एवं नालसा की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा दिनांक 04.04.2021 को श्री दादाजी वृद्धाश्रम, रामनगर खण्डवा म0प्र0 में वृद्धजन के अधिकार, ,कोरोना वायरस से बचाव, संवैधानिक अधिकारी एवं कर्तव्य आदि के संबंध में कर्यक्रम/शिविर का आयोजन किया गया।

Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme

वैश्विक महामारी के दौर में भी सामाजिक हित में संवेदनशीलता के साथ प्रयासरत है विधिक सेवा प्राधिकरण

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में वैश्विक महामारी के दौरान भी सामाजिक हित मे अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में लॉकडाउन अवधि में भी मध्य प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर जनहितकारी कार्यों का संपादन किया है।

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-04-27 | Page- 1
ehitavada.com

Legal fraternity adopts online mode of working with Helpline No 15100

Staff Reporter

UNDER the guidance and directions of Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice and Patron-in-Chief Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA) and Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, MPSLSA, Legal Services Institutions have been committed to reach marginalised sections of society and carry out aims and objectives envisaged under the Legal Services Authority Act, 1987.

Through untiring efforts, all the District Legal Services Authorities have adopted online mode of working and awareness of 24X7 Helpline No. 15100 has been spread throughout the State. Apart from general awareness of the Schemes of the Government and the accessibility to legal services in every district a week-long vaccination awareness programme has been conducted. Para Legal Volunteer Chandra Bhushan of Tehsil Kotma, Anuppur volunteered to get elderly couple vaccinated along with other people at the village, informed Giribala Singh, Member Secretary, MPSLSA.

She said an awareness camp was also conducted at local market in Jaihari, slogans like "Do Gaz Doori Mask Hai Jaroori" were reflected on public walls and people were distributed masks. Similarly, taking in view the non-availability of oxygen at hospitals, Naharru Khan, PLV of DLSA Mandsaur presented 20 oxygen cylinders at District Hospital Mandsaur at his own expense.

Considering the plight of children in Homes, the District Legal Services Authority Bhopal conducted online counseling sessions for children in Bal Gram SOS Village and gathered information about their healthcare, treatment and other needs of the children. They have been

(Contd on page 2)

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

जनसेवा | विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य गांव-गांव जाकर कोरोना महामारी से लोगों को बचाव का दे रहे संदेश

सामाजिक हित में संवेदनशीलता के साथ प्रयासरत है विधिक सेवा प्राधिकरण

जन जागरूकता के उद्देश्य से वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों का संचालन

जन जागरूकता के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के अंतर्गत कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु एक सप्ताह का विशेष वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसी प्रकार अनूपपुर जिले की तहसील कोतमा में कार्यरत पैरालीगल वालंटियर चंद्र भूषण ने स्वप्रेरणा से एक वृद्ध दंपति सहित ग्राम के अन्य लोगो का वैक्सीनेशन करवाया साथ ही जैतहरी में कोरोना से बचाव हेतु स्थानीय बाजार में जागरूकता अभियान चलाया गया। ''दो गज की दूरी मास्क है जरूरी'' जैसे स्लोगन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ–साथ मास्क का वितरण भी किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ सहित समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और जरूरी सेवाएं देने के लिए मध्यप्रदेश एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 का व्यापक प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में निरंतर किया जा रहा है।

कोरोनो काल में यद्यपि विभागीय कार्यप्रणाली का सीमित संचालन हो रहा है तथापि विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वालंटियर को वेबिनार एवं विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर आपदा प्रबंधन, कोरोनावायरस से बचाव, तथा राष्ट्रीय फ्री लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद और अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरा लीगल वालेंटियर श्री नाहरू खान द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय मंदसौर को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन घोषित होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर के निर्देशन में पैरालीगल वॉलेन्टियर श्री रविन्द्र महाजन, श्री राजू भंवरे द्वारा दिनांक 11.04.2021 एवं दिनांक 18.04.2021 को ग्राम दर्यापुर के पास एवं ग्राम बसाड़ में बनिया नाले के पास में रहने वाले में गरीब परिवारों को तथा पी.एल.वी. श्री जितेन्द्र जामुन्दे द्वारा दिनांक 20.04.2021 को ग्राम छिंदखेड़ा में 20 से अधिक गरीब परिवारों को राशन सामग्री तथा भोजन पैकेट का वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से जिला दमोह के अंतर्गत पैरालीगल वॉलेंटियर को कोरोना महामारी से बचाव, आयुष्मान कार्ड, वैक्सीनेशन, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना के संबंध में सभी को जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा दिनांक 09.04.2021 को युवा उपभोक्ता कल्याण समिति के साथ संयुक्त तत्वाधान में कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुए आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना महामारी संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैरालीगल वालेंटियर्स के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को मास्क लगाने एवं सावधानी रखने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

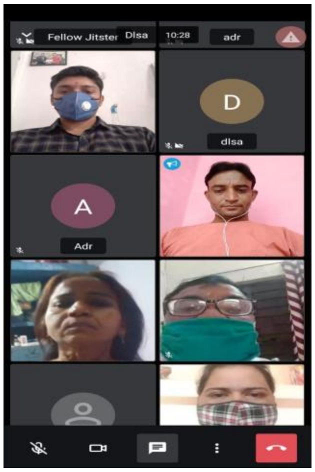

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा पैरा लीगल वालंटियर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग निष्पादित की गई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के सचिव संजय गुप्ता द्वारा सभी पीएलबी को निर्देशित किया कि वह कोविड–19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 45 से अधिक है वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करें तथा कोविड–19 केसंक्रमण से बचाव हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आमजन को जागरूक करें ऐसे

व्यक्ति जो कि प्रवासी मजदूर के रुप अपने गांव वापस आए हैं तथा ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति जो कि कुंभ मेले अपने नगर वापस आए हैं उन्हें क्वारंटाइन होने की सलाह दी जावे ताकि वह संक्रमण से स्वयं एवं अन्य को बचा सके इसके अतिरिक्त साला त्यागी बच्चों के संबंध में जानकारी संकलित करें तथा ऐसे अपचारी बालक का डाटा भी संकलित करें करें जिनकी गतिविधि संदिग्ध है उनकी क्या परिस्थितियां है कि वह समाज की मुख्यधारा में क्यों नहीं आ पाए साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें ट्राई साइकिल वैशाखी व्हीलचेयर कैलीपर्स या किसी अन्य की आवश्यकता है तो उक्त संबंध में भी डाटा कलेक्ट करें ऐसी ग्रामीण जन या शहरी वासी जिनके आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं उनके संबंध में भी जानकारी आवश्यक रूप से के समक्ष प्रेषित करें साथ ही संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने का प्रयास कर मानवता का परिचय दें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी जिला सीधी के पैरालीगल वॉलेंटियर्स के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में सचिव श्री देवीलाल सोनिया ने नशा मुक्ति,निःशुल्क विधिक सहायता सहित नालसा की योजनाओं की जानकारी दी।चसअे को कोविड 19 के संक्रमण से बचने के उपायों को बताया गया तथा दिनांक 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में की जाने वाली आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी गई।

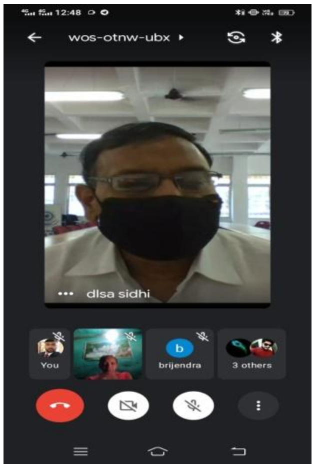

DLSA NARSINGHPUR

(1) Dlsa Narsinghpur organized a Camp for unorganized labour at subhash park Chouraha. Secretary & DLAO DLSA Narsinghpur has given information raleting to the rights of labour & advised for getting sambal Cards. Labour have been awared the free education of child. Preventing majors from covid-19 has been suggested & distributed masks to them.

(2) Covid cases are surging accross the District Narsinghpur. thats why veccination camp was organized by DLSA Narsinghpur with the help of local administration at ADR Centre Narsinghpur. In this camp 160 persons (Judges, Advocates & Employee of District Judiciery) have been veccinated under the scheme for legal services to disaster victims.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

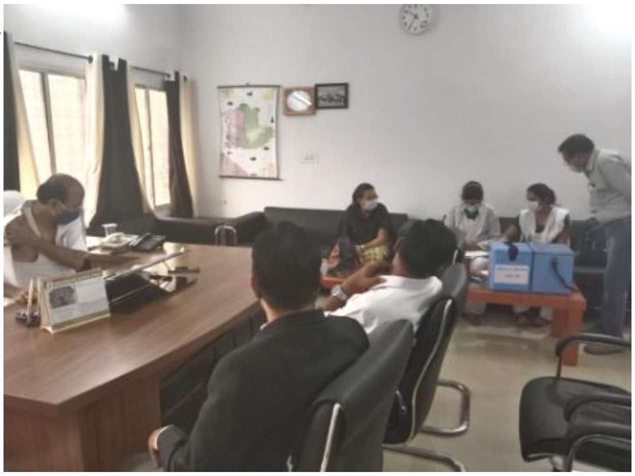

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा ए0डी0आर0 सेन्टर, भवन में दिनांक 03.04.2021 को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता व बचाव, विधिक सहायता आदि के संबंध में विधिक सहायता शिविर व स्वास्थ्य विभाग, खण्डवा के समन्वय स कारोना वायरस से बचाव हेतु 45 वर्ष व उससे अधिक की आयु के न्यायिक कर्मचारी व उनके परिवारजन व अधिवक्तागण को कोविड–19 से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

(1) जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, देवास द्वारा दिनांक 27.04.2021 को बसेरा बृद्धाश्रम देवास में कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित वृद्धजनो के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई एवं उनके द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि उन्हें कोविड का दूसरा टीकाकरण भी लगा दिया गया है। साथ ही वृद्धजनो को कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों से संबंधित नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 01.04.2021 को एवं दिनांक 05.04.2021 को जिला न्यायालय परिसर देवास में कोविड–19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग देवास द्वारा न्यायालय परिसर देवास में ही टीकाकरण केन्द्र बनाए जाकर 45 वर्ष से अधिक आयु के न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, लोक अभियोजन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं उनके परिजन को वैक्सीन लगाई गई।

Celebrating World Health Day (07.04.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ, नीमच एवं अलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 07.04.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच एवं अलीराजपुर के संयुक्त तत्वाधान में **विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर** पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा कोरोना रोकथाम एवं बचाव विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। उक्त वेबिनार में जिला झाबुआ, नीमच एवं अलीराजपुर के पैरालीगल वालेंटियर्स, आशा हेल्थ वर्कर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आमजन ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए। वेबिनार में टीकाकरण के लाभ को विस्तृत रूप से समझाया गया। सम्मिलित प्रतिभागीगण को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिये सामाजिक जागरूकता का प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेरित किया गया। तीनों जिलों के पी.एल.व्ही. द्वारा कोरोना वायरस महामारी के संबंध में प्रश्न पूछे जिसका समाधान सी.एम.एच.ओ. द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागीगण लाभांवित हुये।

DLSA NARSINGHPUR

On the occation of **"World Health Day"** Inspection of Veccination camp situated at MLB School Narsinghpur was held dated 07-04-2021. Present Person have been awared about vaccination. All should be suggested to follow the guidlines ralating to Covid issue by the govt Authorities, Such as wering of mask & social distancing.

Media News

दैनिक चिरंतन, उज्जैन 5

दो गज दूरी मास्क जरूरी कोरोना रोक थाम एवं बचाव पर ऑनलाईन बेबीनार

झाबुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में कोरोना रोकथाम एवं बचाव विषय पर ऑनलाईन परिचर्चा वेबीनार संपन्न हुआ। आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव /अपर जिला न्यायाधीश श्रीमान राजेश देवलिया जी के निर्देशन में किया गया कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन आयोजित हुआ जिसमें झाबुआ नीमच एवं अलीराजपुर तीन जिलों के पैरालीगत वालेटियर्स आशा हेल्थ वर्कर महिला आंगनवानी कार्यकर्ता एवं आनजन ऑनलाईन जुडे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला जज /सचिव श्रीमान राजेश देवलिया जी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिये सभी को दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के सिद्वांत पर शक्ति से अमल करना चाहिए । हाट बाजार एवं भीड -भाड वाली जगहों से जाने से बचे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने तथा हाथों को बराबर साबुन एवं सेनेटाईजर से धोते रहे। आयोजन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर ने संबोधित करते बताया कि कोरोना वायरस सवंमित व्यक्ति के द्वारा छीकने और खासने पर अथवा उसके सम्पर्क में आने पर अन्य व्यक्तियों को फैल सकता है जिसके बचाव के लिये आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखे एवं पौष्टिक आहार एवं आयुर्वेदिक काढ़ा का सेवन करे सक्रमण के लक्षण जैसे -सर्दी खासी बुखार आदि होने पर तत्काल चिकित्सा की सलाह ले 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियो के लिये जिला चिकित्सालय मे निःशुल्क कोरोना टिकाकरण किया जा रहा है जिसका सभी व्यक्तियो का लाभ लेना चाहिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमंच के सचिव /अपर जिला जज श्रीमान रवि झारोला ने भी अपने विचार रखे तथा कोरोना वायरस कि रोकथाम के लिये पैरालीगल वालेटियर्स आशा वर्कर आंगनवानी कार्यकर्ताओं एवं आम जनो को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए सामाजिक जागरूकता का प्रसार प्रचार करने हेतु प्रेरित किया गया आयोजन में ऑनलाईन जुडकर तीनो जिलों झाबुआ नीमच अलीराजपुर के पी एल व्ही ने कोरोना वायरस महामारी के संबंध में प्रश्न पुछे जिसका संमाधान डॉ जयपालसिंह ठाकुर सी एम एच ओ द्वारा किया गया कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अतिथियो का आभार जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया अलीराजपुर द्वारा किया गया यह कार्यक्रम कोरोना के बढते हुए प्रकोप को रोकने के लिए लोगो में बचाव और कोरोना के बचने के लिए जो उपाय व गाईड लाईन बनाई है उसका पालन किया जा सके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता को बाखुबी से जागरूक कर रहे है ।

कोरोना रोकथाम एवं बचाव पर ऑनलाईन वेबीनार

झाबुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में कोरोना रोकथाम एवं बचाव विषय पर 7 अप्रेल को ऑनलाईन परिचर्चा वेबीनार संपन्न हुआ। आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाईन आयोजित हुआ जिसमें झाबुआ, नीमच एवं अलीराजपुर तीन जिलों के पैरालीगल वालेंटियर्स, आशा हेल्थ वर्कर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आम्मजन ऑनलाईन जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला जज/सचिव देवलिया ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिये सभी को दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के सिद्धांत पर शक्ति से अमल करना चाहिए। हाट बाजार एवं भीड-भाड़ वाली जगहों से जाने से बचे, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने तथा हाथों को बराबर साबुन एवं सेनेटाईजर से धोते रहें। आयोजन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयपालसिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने और खांसने पर अथवा उसके संपर्क में आने पर अन्य व्यक्तियों को फैल सकता है जिसके बचाव के लिये आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखे एवं पौष्टिक आहार एवं आयुर्वेदिक काढ़ा का सेवन करें। संक्रमण के लक्षण जैसे सर्दी-जुकाम, बुखार आदि होने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह ले। 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिये जिला चिकित्सालय में नि:शुल्क कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है जिसका सभी व्यक्तियों को लाभ लेना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के सचिव/अपर जिला जज संजय जैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर के सचिव/अपर जिला जज रवि झारोला ने भी अपने विचार रखे तथा कोरोना वायरस रोकथाम के लिए पैरालीगल वालेंटियर्स, आशा वर्कर, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों को कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिये सामाजिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेरित किया गया। आयोजन में ऑनलाईन जुड़कर तीनों जिलों झाबुआ, नीमच, अलीराजपुर के पीएलव्ही ने कोरोना वायरस महामारी के संबंध में प्रश्न पूछे जिसका समाधान डॉ. ठाकुर सीएमएचओ द्वारा किया गया।

कोरोना से बचाव को लेकर तीन जिलों के जजों ने की चर्चा

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ऑनलाइन आयोजन

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

बुधवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना रोकथाम एवं बचाव विषय पर ऑनलाइन परिचर्चा रखी। आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ।

ऑनलाइन हुए कार्यक्रम में झाबुआ, नीमच एवं आलीराजपुर जिलों के पैरालीगल वालेंटियर्स, आशा हेल्थ वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ी। अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी को दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के सिद्धांत पर सख्ती से अमल करने को कहा।

अपर जिला जज देवलिया ने वेबिनार में कोराना से बचाव की जानकारी दी।

सीएमएचओ डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस फैलने के कारण बताए। साथ ही इससे बचाव के तरीके के बारे में विस्तार से बताया।

नीमच के अपर जिला जज संजय जैन, आलीराजपुर के अपर जिला जज रवि झारोला ने भी अपने विचार रखे। सभी ने सामाजिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। झाबुआ, नीमच, आलीराजपुर के पीएलवी ने कोरोना वायरस महामारी के संबंध में प्रश्न पूछे, जिसका समाधान सीएमएचओ ने किया। जिला विधिक सहायता अधिकारी आलीराजपुर सिमोन सुलिया ने आभार माना।

Training & Webinar

Training of Panel Advocates and PLVs through online and offline mode

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 20.04.2021 को कोरोना काल में स्वास्थ्य एवं इम्युनिटी बनाये रखने तथा विधिक सेवा योजनाओं के प्रचार–प्रसार विषय पर झाबुआ जिले के 4 गांवों ग्राम ढेकल छोटी, ग्राम दौलतपुरा, ग्राम ढेबर बड़ी एवं ग्राम गोमला के नागरिकगणों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से 'ऑनलाईन परिचर्चा का आयोजन किया गया। 4 गांवों के ग्रामीणजन अपने–अपने मोबाईल से घर से ही कार्यक्रम में जुड़े। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा चलाये जा रहे **'दो गज दूरी मास्क जरूरी अभियान'** को सुचारू रूप ये चलाने हेतु चर्चा की गई कार्यक्रम को संबोधित किया गया तथा कोरोना वायरस से बचने के लिए टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया। उक्त वेबिनार में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड एवं बाल कल्याण समिति भोपाल के सदस्य भी सम्मिलित हुए जिन्होंने कोरोना से बचाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, साथ ही सचिव द्वारा नालसा एवं सालसा की योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 09.04.2021 को नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं) योजना–2010, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं)–2015, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का सरंक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2015 एवं नालसा (वरिश्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना–2016 अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों का ऑनलाईन माध्यम से आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स को नशा मुक्ति, कोरोना महामारी सेवाकार्य,आपदा प्रबंधन अधिनियम व निःशुल्क विधिक सहायता विषय पर ऑनलाइन प्रक्षिक्षण प्रदान किया गया।

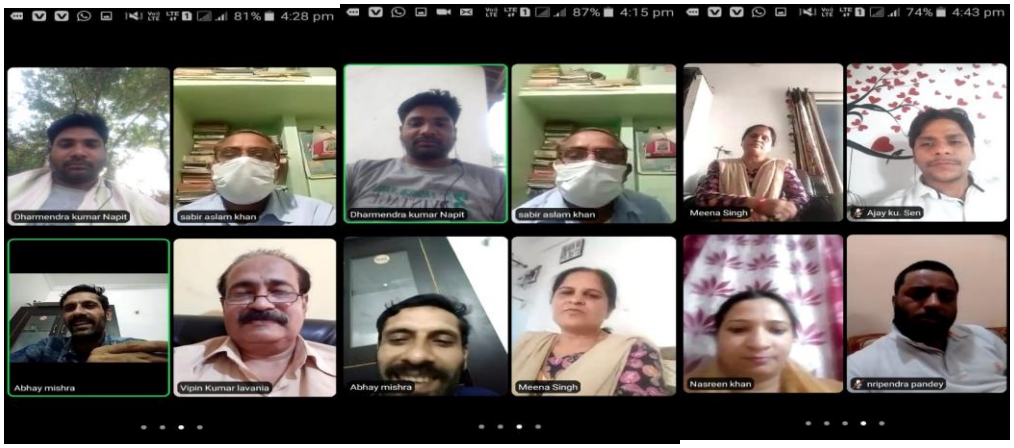

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2021 को नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) के संबंध में योजना से संबद्ध पैरा लीगल वालंटियर के विशेष ग्रुप को जूम एप के माध्यम से वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया। उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा पैरा लीगल वालंटियर को नालसा की उक्त योजना, किशोर न्याय अधिनियम, मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

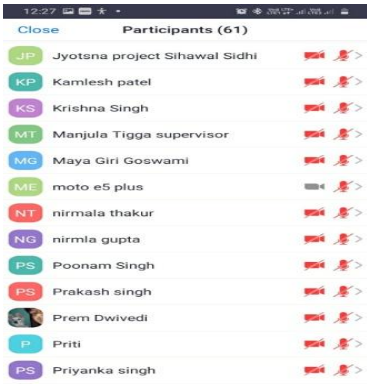

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा ऑनलाइन शिविरों के आयोजन की श्रृंखला में महिला एवं बाल विकास के सहयोग से जूम मीटिंग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के माध्यम से सचिव द्वारा घरेलू हिंसा, विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, आयुष्मान भारत निरामयम योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिविर के माध्यम से शाला त्याग देने वाले बच्चों के अभिवावकों से संपर्क करने तथा उन्हें पुनः शाला में प्रवेश कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर एवं खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर एवं खण्डवा के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त रूप से विधिक सेवा योजनाओं एवं कोरोना काल में वॉलंटियर्स की भूमिका विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा वालेंटियर्स को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं, नेशनल लोक अदालत, लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत, विधिक सहायता, मध्यस्थता, पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में खण्डवा के 42 पी.एल.वी., बुरहानपुर के 30 पी.एल.वी. एवं अन्य अधिकारी सहित लगभग 75 सहभागी सम्मिलित हुयें।

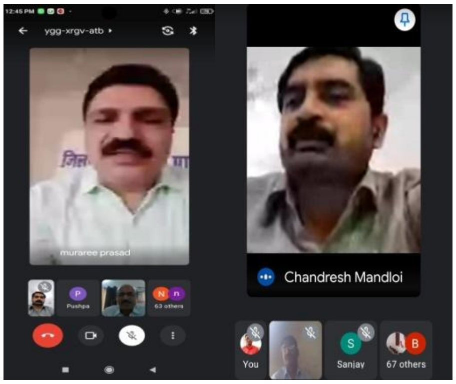

DLSA JABALPUR

DLSA Jabalpur organised an online training program for Paralegal Volunteers in which around 50 Paralegal Volunteers (including Law Students) participated. Trained PLV Aryan Gupta apprised that how they can help the needy and vulnerable section of society within the ambit of law.Question –answer session was also conducted among the participants .In which DLAo,DLSA has answered of queries raised by participants.

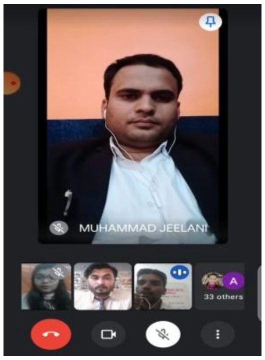

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल 6. देवास

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 23 अप्रैल 2021 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय श्री योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं श्री शमरोज खान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा पैरालीगल वॉलेंटियर्स के साथ गूगल मीट एप के माध्यम से ऑनलाइन परिचर्चा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शक्ति रावत द्वारा ऑनलाईन रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स को नालसा एवं सालसा की विभिन्न विधिक सेवा

योजनाओं के बारे में जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। आयुष्मान कार्ड योजना, निःशुल्क विधिक सलाह/सहायता स्कीम, कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक उपाय, कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक करने के संबंध में पैरालीगल वालंटियर को आग्रह किया एवं उन्हें आने वाली कठिनाईयों के बारे में चर्चा की गई।

आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के पैरालीगल वालंटियर्स श्री राकेश नागर, श्री राजेश राठौर, श्रीमती ममता सोनी, श्रीमती जेसमीन शेख, श्रीमती मीना पराडकर, श्री सलीम मदनी, श्री दिनेश चौधरी इत्यादि पैरालीगल वालंटियर द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए। प्रशिक्षण में 19 पैरालीगल वालेंटियर्स ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए।

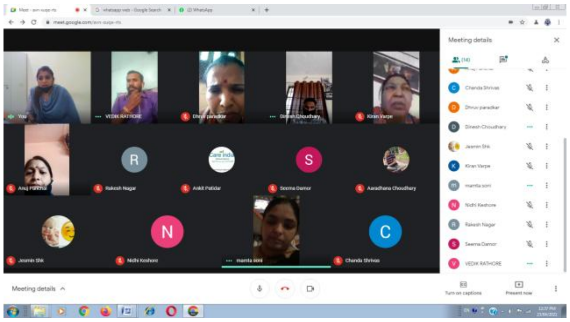

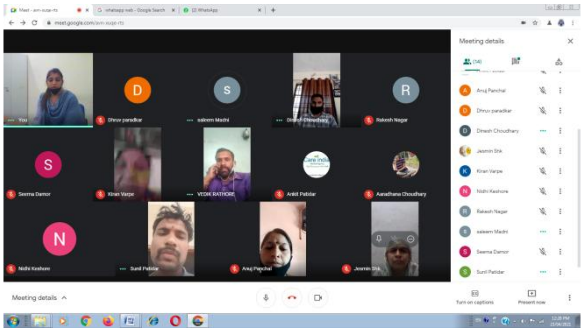

DLSA NARSINGHPUR

DLSA Narsinghpur organised an online training program for Paralegal Volunteers on 06.04.2021 & 23.04.2021.

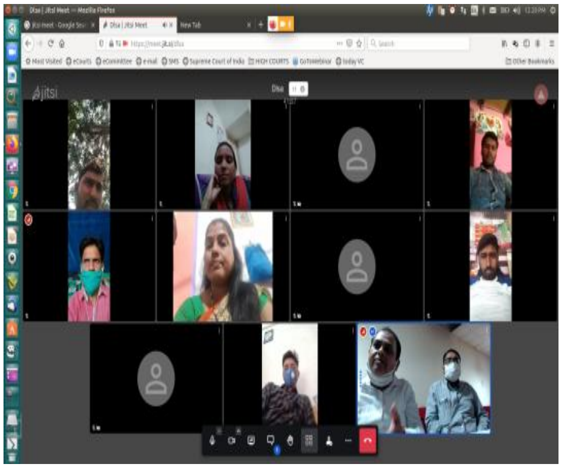

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

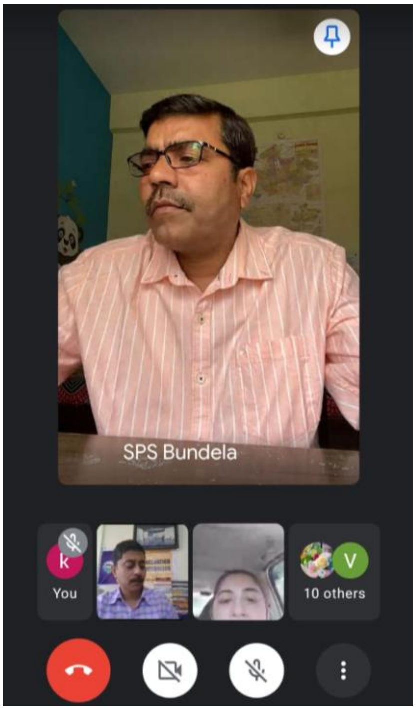

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल के द्वारा आनलाइन विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव एवं सी.डबलू.सी भोपाल के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में Gharonda After Care Home तथा Nirbhaya Woman Shelter Home भोपाल के अधिकारीगण एवं निवासरत बालिकाएं भी सम्मिलित हुई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के द्वारा निवासरत बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के स्तर के संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर अपने विचार साझा किये इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत यथासंभव बालिकाओं के पुनर्वास संबंधी आवश्यक उचित प्रयास किए जाने हेतु अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही बाल कल्याण समिति द्वारा बालिकाओं के हित में कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने हेतु आश्वासन प्रदान किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा द्वारा दिनांक 01.04.2021 को पैरालीगल वालेंटियर व अन्य के साथ ए0डी0आर0 सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा म0प्र0 में नालसा, सालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं संवैधानिक अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

TOWARDS CORONA FREE COMMUNITIES

Taking into consideration the difficulties being faced by the people at large and the overworked administration including medical staff, MPSLSA issued guidelines for Corona Free Villages and communities.

The following guiding principles have been made to help members of the community organize themselves, reduce the pressure on government machinery and create a circle of positivity:-

PREVENTIVE MEASURES-

1. Sarpanch, Members of Panchayat and Panchayat Secretary create awareness through intensive campaigns:-
   a) What is corona?
   b) How it may occur and spread?
   c) Effect of Corona.
   d) Benefits of vaccination

2. Involvement of Religious Leaders, Teachers of Primary School and Anganwadi Workers in the awareness camp with special emphasis on-
   a) Need and method for wearing masks, necessity of maintaining six feet social distance, frequent hand washing.
   b) Awareness of "suspected person"- Sore throat, fever, body ache, diarrhea breathlessness, loss of taste etc.

3. Ensuring availability of oxymeter, thermal scanner, basic corona medicines including Azithromycin, Ivermectine and Doxycycline, Zinc, Magnesium and Vitamin D_3.

ISOLATION & AVOIDANCE MEASURES-

4. Smoking, chewing tobacco and liquor consumption be avoided with awareness that such substances decrease body immunity.
5. Restriction to visiting towns, weekly markets, haat bazaars and crowded places.
6. Community leaders to restrict and quarantine incoming traders/agents/hawkers from nearby towns to sell various products to villagers to preempt potential carriers of Corona.
7. Marriage celebrations, funerals and religious or cultural gatherings, evening folk dances.

8. Quacks, half baked advice of local un-authorised medical practitioners (i.e. ojhas, neem, hakeems and jholachhap doctors) and rumor mongering.
9. Suspected persons, Labourers and students returning from cities be kept in isolation in school building /Panchayat buildings etc. and avoidance of proximity with old aged people and small kids.

<u>POSITIVE MEASURES-</u>

10. Vaccination, early identification, isolation and RTPCR or CT-Scan

11. Intake of simple, locally available fresh food rich in vitamin C, like Lemon etc, hot drinks and steam inhalation in case of congestion.
12. Isolated persons be given the message of- “We are with you”.
    a) Arrange to send food, medicine and daily needs twice a day through community mobilization in safe environment.
    b) Daily inquiry about temperature and general wellbeing.
    c) Simultaneously evening prayer for well being of all particularly the patient in every home with the ringing of temple or church bell or azaan as the case may be
13. Arrangement of dedicated vehicles to cater to daily needs.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-05-02 | Page- 4
ehitavada.com

DLSAs issued guidelines for fight against corona

■ Legal Correspondent

UNDER the guidance of Chief Justice and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Justice Mohammed Rafiq and Executive Chairman Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Justice Prakash Shrivastava, legal services institutions have taken up the cause for making every village corona free.

A ten-point guideline has been issued to all DLSAs which includes preventive measures of hand wash, use of masks etc and avoiding rush to haat bazaar, marriage and death festivities, customary group dances, Ojhas, quacks and tobacco. Order has been issued for timely corona test, treatment at designated COVID hospitals, vaccination and intake of citrus fruits like lime etc and isolation of migrants. This has also advised by Giribala Sihgh, Member Secretary, MPSLSA.

Secretaries of the legal services institutions are actively engaged on training of paralegal volunteers and panel advocates so that quality legal aid is given to people who find it difficult to access the justice delivery system. While DLSA Sidhi organised training for panel advocates, DLSA Bhind organised a special camp for senior citizens apprising them of their rights and engaged with them in addressing their grievances. Several DLSAs including Bhind, Dewas, Sidhi etc. conducted online session for the jail inmates which included interaction with the children of inmates. DLSA Ujjain, Jabalpur, Sehore Jhabua, Rajgarh, Sidhi. Conducted online training programmes for PLVs and Panel Advocates. Para Legal Volunteer Vidya Tiwari DLSA Shahdol rendered assistance to patients and their family members at hospitals. In Tehsil Thandla District Jhabua Para Legal Volunteers extensively engaged with the public to spread awareness on means to prevent corona. DLSA Vidisha went a step ahead and under the Litigation Free Village and Adarsh Gram Scheme took up work for construction of Gram Swaraj Chaupal on 1000 sq/ft. of land at Village Chhapkheda with community help, PLVs and Aanganwadi workers. With the special involvement of women and children within the existing resources, masks and sanitizers were prepared and distributed. It is noteworthy that not a single person in village Chaap Kheda has tested positive till date. PLVs of DLSA Hoshangabad rendered assistance to more than 100 persons for vaccination drive at Village Panjarkala while the PLVs of DLSA Narsinghpur took up a special sanitation drive in Village Imalia. Notable is the special effort of PLV Ramkumar Rathore, DLSA Mandsaur who successfully prevented the marriage of a 16-year-old girl child at village Lamgarah. Efforts has been made to reach out to children at homes and DLSA Bhopal organised an online yoga camp for children while under the ‘Yoga Se Nirog’ programme, persons who were in quarantine were imparted training through efficient yoga trainers by DLSA Shahdol.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्रामों को कोरोना मुक्त बनाने चलाया अभियान, निर्देश जारी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक के मार्गदर्शन व कार्यपालक अध्यक्ष हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के निर्देशन में वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक हित में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रत्येक ग्राम को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है।

इसके तहत दस सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनमें हाथ धोने, मास्क आदि का उपयोग और हाट बाजार, शादी और मृत्यु भोज, प्रथागत समूह नृत्यों, ओझाओं-नीम हकीम व तंबाकू से बचने के उपाय शामिल हैं।

पैनल अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड, देवास, सीधी आदि सहित कई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल के कैदियों के लिए आनलाइन सत्र आयोजित किया, जिसमें कैदियों के बच्चों के साथ बातचीत शामिल थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, झाबुआ, राजगढ़ सीधी द्वारा पीएलवी और पैनल अधिवक्ताओं के लिए आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा चयनित पैरा लीगल वालेंटियर विद्या तिवारी ने अस्पतालों में रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए विवाद विहीन और आदर्श ग्राम योजना के तहत 1000 वर्गफीट पर ग्राम स्वराज चौपाल के निर्माण के लिए एक सराहनीय कार्य किया। जिला विदिशा में स्थित ग्राम छापखेड़ा में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और समाज के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों एवं महिलाओं और बच्चों की विशेष भागीदारी के साथ मास्क वितरण व सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद के पीएलवी द्वारा ग्राम पंजरकला में टीकाकरण अभियान के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों को सहायता प्रदान कीए इसके साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी नरसिंहपुर के पीएलवी ने ग्राम इमलिया में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बालगृहों के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

DLSA VIDISHA

DLSA VIDISHA went a step ahead and in accordination with Shri R.K. Paliwal, Senior IRS Officer (Retd.) who is also a mentor under the Litigation Free Village and Adarsh Gram Scheme, construction work for Gram Swaraj Chaupal on 1000 sq/ft. of land was taken up in coordination with Members of the Gram Seva Samiti Bhopal at Village Chhapkheda with community help, PLVs and Aanganwadi workers. With the special involvement of women and children within the existing resources, masks and sanitizers were prepared and distributed. It is noteworthy that not a single person in village Chaap Kheda has tested positive till date.

DLSA ASHOKNAGAR

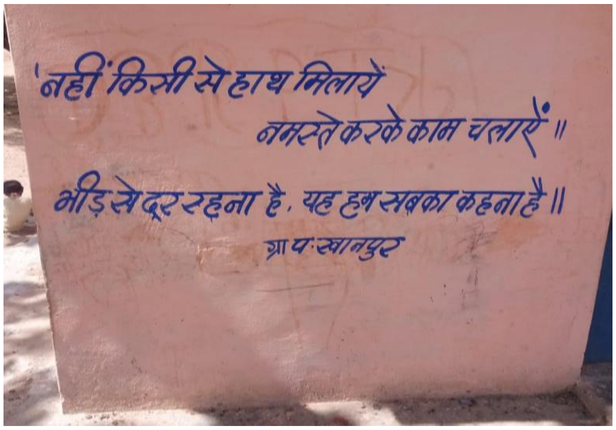

योग से निरोग

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के लिये योग करने की सलाह दी गई है। इसी तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा बालगृहों के बच्चों के लिय एक ऑनलाईन योग शिविर का आयोजन किया गया, इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा क्वारंटीन व्यक्तियों को कुशल योग प्रशिक्षकों के माध्यम से योग प्रशिक्षण प्रदान किया किया जा रहा है।

DLSA BHOPAL

Success Story

DLSA INDORE

On a complaint before Legal Assistance Cell for Labour constituted in coordination with the Labour Office, DLSA Indore through its PLV Arina Ali, specially trained member of the Cell drafted an application on behalf of the workman Amitesh Saini.

The Labour Commissioner took action on the application filed at the behest of Amitesh Saini and through effective assistance by DLSA Indore, the labour received his due wages.

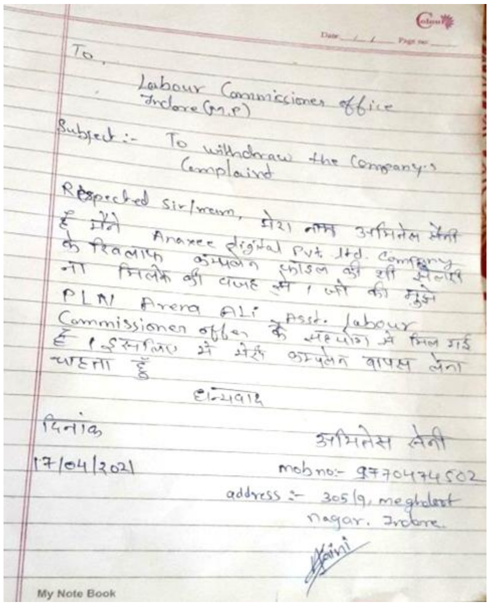

To,
Labour Commissioner office
Indore (M.P)

Subject :- To withdraw the Company's Complaind

Respected Sir/mam, मेरा नाम अमितेश सैनी है मैंने Anaxee digital Pvt. ltd. Company के खिलाफ कम्पलेन कोउल की थी सैलरी ना मिलने की वजह से। जो की मुझे PLV Arena Ali के Asst. labour Commissioner office के सहयोग से मिल गई है। इसलिए मै मेरी कम्पलेन वापस लेना चाहता हूँ

धन्यवाद

दिनांक
17/04/2021

अमितेस सैनी
mob no:- 9770474502
address :- 305/9, meghdoot nagar, Indore

My Note Book

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
25	5	30

-----xxx-----

M.P. State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur- 482001

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in, Toll Free No. 15100